

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—66/2018 (2018/00160) वादपत्र

अनवान

1. बगतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मुरलीधर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुशीला पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमदेवी पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरीदेवी पत्निमांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पवनकुमार पिता हीरालाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील बापना -
2. जाकिर हुसैन -

अधिवक्ता वादी  
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 29.10.2020 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 854/2600 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 1.59 है0, आराजी संख्या 863/2597 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 877 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.81 है0 भूमि में वादी का 1/8 हिस्से का मौके एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.01.2024 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड



आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराना तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 30 में प्रस्तावित आराजी संख्या 862/1 रकबा 0.23 है० भूमि बगतावर पुत्र रामा गुजर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2597/863 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 2600/854 रकबा 0.03 है०, आराजी संख्या 862/2 रकबा 1.36 है०, आराजी संख्या 864 रकबा 0.09 है०, आराजी संख्या 877 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.58 है० भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, मुरलीधर पुत्र मांगीलाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबोध सिंह चारण)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—66/2018 (2018/00160) वादपत्र

**अनवान**

1. बगतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

**बनाम**

1. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मुरलीधर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुशीला पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमदेवी पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरीदेवी पत्निमांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पवनकुमार पिता हीरालाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 30 में प्रस्तावित आराजी संख्या 862/1 रकबा 0.23 है0 भूमि बगतावर पुत्र रामा गुजर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2597/863 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2600/854 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 862/2 रकबा 1.36 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 877 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.58 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, मुरलीधर पुत्र मांगीलाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.02.2024 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुबोध सिंह चारण)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)